न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 98 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 165

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मलसिंह पुत्र शिवसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सोढो की ढाणी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.खरताराम पुत्र भीखाराम 2.टीकमाराम पुत्र कपूराराम जाति मेघवाल निवासी बागुन्डी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.अणसीकंवर पत्नि सरूपसिंह 4.खेतु कंवर पत्नि लालसिंह 5.खेतसिंह पुत्र सवसिंह 6.पांचीदेवी पत्नि देवीसिंह 7.ललिता पत्नि गोरधनसिंह 8.गंगाकंवर पत्नि मलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सोढो की ढाणी तहसील पचपदर जिला बालोतरा 9.देवाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी तिलवाड़ा स्टेशन तह.पचपदरा 10.भूराराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मलवा तहसील पचपदरा 11.खुशालसिंह पुत्र गुमानसिंह 12.गोरधनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सोढो की ढाणी तहसील पचपदरा 13.सोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति सरगरा निवासी हनुवंतसिंह का बंगला,जोधपुर तहसील जोधपुर 14.गोरधनराम पुत्र भूराराम 15.[illegible] पत्नि भलाराम 16.[illegible] पुत्र भलाराम 17.फरसाराम पुत्र भलाराम 18.रघुवीर पुत्र भलाराम 19.लेखराज पुत्र भलाराम जाति सुथार निवासी बागुन्डी तहसील पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:49 IST
Reason: SelfAttested

20.अजयकुमार पुत्र पारसमल

21.अणदाराम पुत्र विरधाराम

22.कैलाशकुमार पुत्र पारसमल

23.कस्तुराराम पुत्र विरधाराम

24.गोंविदराम पुत्र विरधाराम

25.जोगाराम पुत्र पारसमल

26.नरपतराम पुत्र विरधाराम

जाति मेघवाल निवासी तिलवाड़ा स्टेशन

तहसील पचपदर जिला बालोतरा

27.उतमाराम पुत्र नन्दराम

28.ऊमा पुत्र शेरा

29.चन्द्राराम पुत्र नन्दराम

30.चैनाराम पुत्र मुकनाराम

31.जगदीश पुत्र गोमाराम

32.जेति पत्नी सोनाराम

33.जैसाराम पुत्र नन्दराम

34.जोगाराम पुत्र नन्दराम

35.धूड़ाराम पुत्र उदाराम

36.नखतराम पुत्र नन्दराम

37.प्रभुराम पुत्र मुकनाराम

38.बाबुराम पुत्र नन्दराम जाति सुथार

निवासी बागुन्डी निवासी बागुन्डी

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

39.महिपालदान पुत्र प्रकाशदान

जाति चारण निवासी बागुण्डी

40.माधाराम पुत्र गोमाराम

41.रतनाराम पुत्र मुकनाराम

42.रिणमलराम पुत्र नन्दराम

43.लालाराम पुत्र नन्दराम

44.विशनाराम पुत्र उदाराम

45.सुआ देवी पत्नि गोमाराम

46.हीरों देवी पत्नि नन्दराम जाति सुथार

निवासी बागुन्डी तहसील पचपदरा

47.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh K
Date: 2024.09.11 18:24:49
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 10
3. विप्रार्थी संख्या 1 से 9 व 11 से 47 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 14/8/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सोढो की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 135,138 व 187/5 कुल क्षेत्रफल 15.9121 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः ग्राम सोढो की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 135,138 व 187/5 कुल क्षेत्रफल 15.9121 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री तखतसिंह नामा द्वारा विप्रार्थी संख्या 10 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 9 व 11 से 47 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सोढो की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 135,138 व 187/5 कुल क्षेत्रफल 15.9121 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुश्तैनी मेढो को हटाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगडालू [illegible] होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सोढो की ढाणी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:49 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 135,138 व 187/5 कुल क्षेत्रफल 15.9121 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.विप्रार्थी संख्या 10 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सोढो की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 135,138 व 187/5 कुल क्षेत्रफल 15.9121 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति मौका फर्द दिनांक 25.02.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थी संख्या 10 को छोड़ते हुए शेष विप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है,यदि आपति होती तो उजर–एतराज पेश करते,लेकिन ऐसा विप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन [illegible]या जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्ग[illegible]रा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सोढो की ढाणी पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 135,138 व 187/5 कुल क्षेत्रफल 15.9121 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14/8/24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:24:49 IST
Reason: SelfAttested